

SWM Strategy

1. डोर टू डोर कलेक्शन के लिये ग्राम पंचायतों में गली नम्बर के साथ घरों की नम्बरिंग का कार्य प्रगति पर है।
2. घर की नम्बरिंग के अनुसार ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन कलेक्ट किये जाने का अनुश्रवण करना।
3. आर.आर.सी. संचालन के लिये केयर टेकर को ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त करने के उपरान्त केयर टेकर को प्रशिक्षित करना।
4. ग्राम पंचायत से घर से डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन से यूजर चार्ज के रूप में प्रति घर रुपये 30 प्रतिमाह लेना।
5. आर.आर.सी. को क्रियाशील कर ग्राम पंचायत द्वारा ओ.एस.आर. प्राप्त करना।